रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 487] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 1983/कार्तिक 10, 1905
No. 487] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 1983/KARTIKA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separat. compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1983

का.आ. 788(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में राष्ट्रपति, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचकगण के सदस्यों से, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार, राज्य सभा के उस सदस्य के स्थान को भरने के लिए जो अपनी पदावधि के अवसान के पश्चात् 2 अप्रैल, 1982 को निवृत्त हो चुका है, एक सदस्य का निर्वाचन करने की अपेक्षा करते हैं ।

[सं. एफ 13(7)/83 वि. 2]

ग. वेंकटसूर्य परिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 1983

S.O. 788(E).—In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the members of the electoral college of the Union territory of Delhi to elect, in accordance with the provisions of the said Act and the rules and orders made thereunder, a member to fill the seat of a member of the Council of States who retired on the 2nd April, 1982 on the expiration of his term of office.

[No. F. 13(7)/83-Leg. II]

R. V. S. PERI, SASTRI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1983